कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र0)

ईमेलः- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN – SAVE LIFE
अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक :98570/स्था./जी.एम.सी./2024 रतलाम, दिनांक :– 08/10/24

// विज्ञप्ति //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जूनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि **(Tenure)** 01 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए दिनांक 16.10.2024 (बुधवार) वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार के दिन प्रातः 10 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

जूनियर रेसिडेंट (निश्चित वेतन रू. 61,515/– प्रतिमाह)

विभाग	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रिक्त कुल पद
Pediatrics	-	1	-	-	-	1
Orthopedics	1	-	1	-	-	2
Obstetrics & Gynecology	1	-	-	-	-	1
Total :- 04	2	1	1	-	-	4

जूनियर रेसिडेन्ट पद हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक साक्षात्कार किये जायेगें। आवेदन पत्र साक्षात्कार के दिन प्रातः 10 बजे तक डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के कार्यालय में प्राप्त किये जावेगें। प्रातः 10 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नही लिये जावेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ–4–7/2/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसिडेन्ट के पद पर होगा उन्हे ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा, के बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्ते लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोटः–
1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार लागू होगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरूष वर्ग से भरा जावेगा।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नही हो जाता।

Scanned with CamScanner

<u>यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–</u>

1. अवधि : जूनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि **(Tenure)** 01 वर्ष होगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्ताकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. जूनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नही होगी। जिन चिकित्सको ने इसी महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नही होगी।
5. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नही दिया जावेगा।
6. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
7. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्ते :–

चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिनांक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, पर इन रेसिडेंन्टस से संबंधित सभी बातो पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

1. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
3. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
4. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
7. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों की स्क्रुटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा की उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नही है एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नही है, यदि इनके विरूद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरूद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नही किया जावेगा।
8. यदि उम्मीदवार द्वारा ओबीसी पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
9. बाण्डेड अभ्यार्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नही आई है/आई है किन्तु मैने अपनी जोइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नही दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले जूनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Anita Mutha

डॉ. अनिता मूथा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा.स्व.चि.महा. रतलाम (म0प्र)

DEAN & CEO
Dr. L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

Scanned with CamScanner